



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 21.09.2026

#OPERATION CONVICTION

महिला एवं बालिका अपराध पर इटावा पुलिस का कड़ा प्रहार ।

बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई ।

1. थाना-कोतवाली

मा0 न्याया0 एडीजे टीआरसी पोक्सो एक्ट इटावा द्वारा अभियुक्त आदित्य उर्फ सोनू शर्मा पुत्र राकेश कुमार शर्मा निवासी पवास थाना कोतवाली नगर जनपद एटा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 55,000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 एडीजे टीआरसी पोक्सो एक्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 55,000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- थाना कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व उसके साथ गलत काम करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दिनांक 09.07.2021 को मु0अ0सं0 296/2021 धारा- 363/366/376 भादवि 3/4 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी व0उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 रोहित कुमार व मानीटरिंग सैल टीम व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.09.2026 को अन्तर्गत मु0अ0सं0 296/2021 धारा 363/366/376 भादवि 3/4 पोक्सो एक्ट में मा0 न्याया0 एडीजे टीआरसी पोक्सो एक्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 55,000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. आदित्य उर्फ सोनू शर्मा पुत्र राकेश कुमार शर्मा निवासी पवास थाना कोतवाली नगर जनपद एटा ।